



ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन

TRIBAL WELFARE TEACHERS ASSOCIATION

कार्यालय – आनन्द कालोनी देवदरा, जिला मण्डला Email : dksingore@gmail.com

Reg.No.04/19/0120815/19

संरक्षक
ओमकार सिंह मरकाम
ट्रायबल मंत्री
म.प्र.शासन

सजीर कादरी
उपाध्यक्ष
8435739678

हेमेन्द्र मालवीय
सचिव
9752393841

मुकेश पाटीदार
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
9752405962

मनीष पंवार
महासचिव
9425436604

सुरेश यादव
महासचिव
9926809680

डी.के.सिंगौर
प्रांताध्यक्ष
9425483556

इलियास खान
संगठन मंत्री
9406681499

सुशील नागेश्वर
सह संगठन मंत्री
9753126130

शिरिन कुरैशी
महासचिव
7354039108

संजय कुमार शुक्ला
उपाध्यक्ष
8965891777

व्यास नारायण दुबे
उपाध्यक्ष
9425853532

बाबुसिंह डामोर
उपाध्यक्ष
7999019852

अरुण कुशवाह
संयुक्त सचिव
9425938908

नीरज दुबे
कोषाध्यक्ष
9713898708

कमलेश गुप्ता
उपकोषाध्यक्ष
8120013800

संजीव सोनी
प्रवक्ता
9425855709

विजय उपाध्याय
आई.टी.सेल प्रभारी
9407072255

इरफान मंसुरी
मीडिया प्रभारी
9111223891

क्र/डी/2019/183

मण्डला,दि 16/01/2020

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी

म.प्र.शासन. भोपाल

विषय:- 20-50 फार्मूले के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्ति के सम्बंध में।

महोदय,

विषयानुसार उल्लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत 16 शिक्षकों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति प्रदान की गई है। 4 दिसम्बर को एसोसिएशन ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा से मुलाकात कर अवगत कराया था कि अध्यापक से शिक्षक संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति नियम विरुद्ध है अधिकारी द्वारा परीक्षण कराने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकरण पर परीक्षण नहीं कराया गया और 16 में से एक माध्यमिक शिक्षक श्री यज्ञसेन श्यामले जिला सिंगरौली की दिनांक 15 जनवरी 2020 को मृत्यु हो गई है। हो सकता है उनकी मृत्यु के पीछे अनिवार्य सेवा निवृत्ति का कारण हो और इसी प्रकार की घटना अन्य शिक्षकों के साथ भी हो सकती है। चूंकि अध्यापक से शिक्षक संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों को म.प्र.पेंशन नियम 1976 लागू नहीं है अतः इन शिक्षकों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति नहीं दी जा सकती है। एनपीएस योजना के अन्तर्गत इन शिक्षकों को अधिकतम 1500रु. पेंशन प्राप्त होगी जिसके कारण इन शिक्षकों में अनिवार्य सेवा निवृत्ति के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव है। अतः नि.लि. अन्य बिन्दुओं पर भी गौर करते हुये सभी शिक्षकों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति निरस्त करने की मांग एसोसिएशन करता है:-

1. अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही में पूरी सेवा का रिकार्ड नहीं देखा गया है।
2. 20-50 फार्मूला के आधार पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति का प्रावधान म.प्र.पेंशन नियम 1976 के अन्तर्गत है जबकि शिक्षण संवर्ग के शिक्षकों को म.प्र.पेंशन नियम 1976 लागू नहीं है।

